न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 115/2022 बउनवानी जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट चूली तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/179

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
15.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील गंगापुर सिटी के पटवारी मण्डल चूली के ग्राम चूली से संबंधित पत्थरगढी के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण कल्याण बनाम लेण्ड होल्डर मु0न0 39/21 धारा 128 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 28.10.2021 मे पारित निर्णय की पालना हेतु आदेश जारी होने की दिनांक से आदिनांक तक किन किन अधिकारी/कर्मचारी ने प्रकरण की पालना मे कितना कितना समय लिया है। सूचीवार सूचना उपलब्ध करावे।
2. राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम,2011 तथा राजस्थान नागरिक अधिकार पत्र राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम,2012 के तहत सीमाज्ञान/ पत्थरगढी आदेश की पालना हेतु तय समय सीमा कितनी है? सूचना उपलब्ध करावे।
3. तहसील गंगापुर सिटी के संबंध में दिनांक 10.11.2021 से लेकर इस पत्र की सूचना जारी करने की दिनांक तक कुल कितने पत्थरगढी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल कितने पत्थरगढी के प्रकरण लंबित है। निस्तारित प्रकरणों की ग्रामवार निस्तारित दिनांक तक सहित सूचि उपलब्ध करावे।
4. उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 1,2,3 के संबंध में आपके द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के विरूद्व प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है? प्रथम अपील अधिकारी के पत्र व्यवहार हेतु पता उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/2999 दिनांक 30.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक/भू.अ./2022/2998 दिनांक 30..9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है शेष बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना को प्रश्नात्मक बताकर अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है, जबकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी उक्त बिन्दुओ की सूचना प्रश्नात्मक नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested